

20/11/25 पत्रावली पेश हुई जार एग्रेसिओशन ने
कन्डोलन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन
किया। पत्रावली इत्तवा होकर दिनांक
07/11/26 को पेश हो।

31/126 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.पीठासीन
आज के मजिस्ट्रेट राजकीय कार्य से बाहर
बधारे है पत्रावली दिनांक 21/2/25
को पेश हो।

16.01.2026 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आज तारीख पेशी पर ली जाकर
प्रकरण हाजा को पेशी पर तलब किया गया। प्रकरण हाजा में
वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि पक्षकारान् के मध्य आपसी
सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र को आगे नहीं
चलाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञान खारिज
किया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212
आरटीएक्ट 1955 के तहत तलबी हेतु न्यायालय में विचाराधीन है।
चूंकि प्रकरण हाजा में पक्षकारान के मध्य में आपसी सहमति से
राजीनामा हो चुका है। वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955
जरिये विज्ञान खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां